

कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया।

पत्रांक :- 859 / न0पा0परि0नि0वि0 / 2018.19

दिनांक 06 सितम्बर 2018

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद औरैया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि स्ववित्तपोषित योजना/पालिका निधि से निर्माण कार्य हेतु दिनांक 18.09.2018 तक ई-निविदायेँ आमंत्रित की जाती है निविदा प्रपत्र वेबसाईट e-tender.up.nic.in पर निर्धारित प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि नगद नगर पालिका परिषद कैश काउन्टर पर नगद जमा कर/ RTGS/NFET के माध्यम से नगर पालिका परिषद औरैया A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCCode: CBIN0281879 भुगतान कर निविदाओं को दिनांक 10.09.2018 को प्रातः 10 वजे से दिनांक 17.09.2018 अपराह्न 1.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.09.2018 को 3.00 बजे से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के कार्यालय में ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी धरोहर राशि एफ0डी0आर0 / RTGS/NFET के माध्यम से नगर पालिका परिषद औरैया के A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCCode: CBIN0281879 में जमा आदि कराई जायेगी, एफ0डी0आर0 की मूल प्रति दिनांक 18.09.2018 अपराह्न 1- वजे तक निविदा बाक्स में बन्द लिफाफे में डालनी होगी किन्ही कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस माना जायेगा निविदा सम्बन्धी नियम शर्तें नगर पालिका कार्यालय में कार्य दिवस में अथवा e-tender.up.nic.in निकाय की वेबसाईट पर देखी जा सकती है। किसी निविदा को कारण बतायेँ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि 5 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य (मय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करने की समयाविधि
6	मु0 आर्य नगर गाटा स0 18 मौजा बदनपुर ब्लाक (बी) में 7 दुकानों का निर्माण।	24,99,000.00	1,25000,00	2500.00+450.00	3- माह
7.	मु0 आर्य नगर गाटा स0 18 मौजा बदनपुर ब्लाक (डी) में 7 दुकानों का निर्माण।	24,99,000.00	1,25,000.00	2500.00+450.00	3- माह


निविदा डालने हेतु शर्त निम्न प्रकार है।

- 1- टेन्डर सबसे कम रेट वाले टेन्डरदाता का स्वीकार किया जायेगा नगर पालिका परिषद औरैया को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी टेन्डरदाता का टेन्डर बिना कारण बतायेँ स्वीकार/अस्वीकार कर सकती है भले ही उसके रेट कम हों।
- 2- टेन्डरदाता को टेन्डर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अपना एग्रीमेन्ट सरकार द्वारा निश्चित स्टाम्प पर लिखकर देना होगा और टेन्डर नोटिस में दी गई जमानत धनराशि भी इकरार नामें के साथ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के नाम बन्धक करायेगा।
- 3- ठेकेदार द्वारा स्टीमेंट के अनुसार समस्त कार्य एग्रीमेन्ट दाखिल करने के निर्धारित समय के अन्दर समाप्त करना होगा यदि कार्य की समाप्ति में कोई दैवीय आपत्ति होगा तो अधिशासी अधिकारी /अध्यक्ष महोदया को अधिकार होगा कि वह कार्य की अवधि बढ़ा सकते हैं।
- 4- यदि टेन्डरदाता स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर -5 प्रतिशत जमानत की धनराशि व एग्रीमेन्ट दाखिल नहीं करेगा तो अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह टेन्डरदाता का टेन्डर निरस्त कर सकते हैं और यदि उसमें कोई आग्रिम धनराशि जमा किया हों तो वह नगर पालिका कोष में जमा कर सकते हैं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173-क-के अधीन वसूल किया जायेगा।
- 5- यदि कार्य राजकीय अनुदान का होगा तो उसका भुगतान उन शासकीय अनुदेशों के अधीन किया जायेगा जिनका शासन ने उन शासकीय पत्र में अंकित किया है। जिसके अनुसार अनुदान दिया गया है।
- 6- अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद औरैया को अधिकार होगा, कि कार्य असन्तोषजनक रूप से अथवा स्टीमेंट के विपरीत हो रहा हो तो वह ठेकेदार को नोटिस देकर कार्य रूकवा सकते हैं यदि ठेकेदार कार्य को बन्द न करेगा तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त कर सकता है और उसका भुगतान शेष होगा वह निकाय कोष में जमा कर लिया जायेगा।
- 7- यदि नगर पालिका परिषद औरैया चालू कार्य में कोई अन्य कार्य बढ़ायेगी तो उसका भुगतान यदि स्टीमेंट में प्रविधान नहीं है तो लो0 नि0वि0 की प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- 8- यदि कार्य के निर्माण में ऐसे समान की आवश्यकता पडती है जिसपर सरकार से प्रतिबन्ध कर रखा हो उसका प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं करेगा निकाय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 9- ठेकेदार की 5% जमानत धनराशि अन्तिम विल के भुगतान के 6 माह बाद दी जायेगी।
- 10- नगर पालिका अधिनियम 1916 में निर्माण के सम्बन्ध में जो विधान अंकित है या समय -2 पर शासन पर शासन उनमें कोई संशोधन करेगा तो वह ठेकेदार पर लागू समझे जायेगा।
- 11- यदि किसी मामले में कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय अधोहस्ताक्षरी करेगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 12- सशर्त कोई भी टेन्डर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 13- निर्माण कार्य/विकास कार्यों के सम्बन्ध में समय -2 पर शासन द्वारा निर्गत आदेश /शर्तें ठेकेदार/ फर्म को मान्य होगी।
- 14- प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग -5 लखनऊ के पत्र सख्या 24 वी आई पी(1) नौ 5-2017 -120 बजट /2013 दिनांक 24-08-2017 के निर्देशनुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सडक को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण /रख रखाव की जिम्मेवारी सम्बन्धित कन्ट्रैक्टर की होगी यह शर्तें टेन्डर में अंकित की जायेगी परियोजना लागत 5 प्रतिशत धनराशि परफॉरमेन्स गारंटी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सडक के समुचित रख- रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी का पालन ठेकेदार को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 15- शासनादेश स0 609 /नौ -92007-249ज /06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में निविदा के साथ 100-00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वधोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 16- विज्ञापन सामग्री में किसी भी प्रकार की लिपीकीय त्रुटि एवं तकनीक अथवा अन्य प्रकार से उल्लेख आलेख्य के लिये निकाय से सम्पर्क किया जा सकता है।

17- ई- निविदा सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सेशोधन आदि के सम्बन्ध में समय -2 पर वेबसाइट etender.up.nic.in एवं nppauraiya.in पर देखा जा सकता है उसके लिये अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी ।


18- ठेकेदार को जी0एस0टी0 का भुगतान, ठेकेदार द्वारा जी0एस0टी0 बाउचर कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही किया जायेगा ।


(राधा तिवारी)
अधिसापी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया ।


(गायत्री देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
औरैया ।

प्रतिलिपि-:1- जिलाधिकारी महोदय औरैया की सेवा में अवलोनार्थ प्रेषित ।

✓2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी औरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइट w.w.w.auraiya.up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करे।


(राधा तिवारी)
अधिसापी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया

कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया

पत्रांक :- 259 / न0पा0परि0नि0वि0/2018.19

दिनांक 06 सितम्बर 2018


ई निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद औरैया जनपद औरैया द्वारा वर्ष 2018-19 में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि स्ववित्तपोषित योजना/पालिका निधि से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा की समस्त कार्यवाही www.etender.up.nic.in के माध्यम से टेंडर शेड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती है निविदा की सख्या विवरण एव निविदा सम्बन्धी शर्तों शासन की उक्त वेबसाइट अवलोकित किया जा सकता है।

क्र0स0	नगर पालिका परिषद औरैया	ठेकेदार Vendar Steage	प्रारम्भ दिनांक व समय	अंतिम दिनांक व समय
1	Tender Release	Tender Download	10.09.2018	17.09.2018/ 5.00 P.M.
2		Bid Submisson	UP To	18.09.2018/ 1.00 P.M.
3	Bid Opening Technical			18.09.2018/ 3.00 P.M.
	Bid Opening Financial			When technical bid Approved

शर्तें - शर्तें किसी भी कार्य दिवस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।


(राधा तिवारी)
अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया।


गायत्री देवी
(गायत्री देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
औरैया।

प्रतिलिपि-:1- जिलाधिकारी महोदय औरैया की सेवा में अवलोनार्थ प्रेषित।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी औरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइट w.w.w.auraiya.up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करे।

3-सम्पादक दीनेश पाण्डेय देवी अमर उज्जैन को इस आशय से प्रेषित कि अपने आगामी अंक में सरकारी दरों पर प्रकाशित कर का बिल 02 प्रतियों के साथ भुगतान हेतु प्रेषित करें।


(राधा तिवारी)
अधिसायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया।